

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 45/2023 (उदयपुर डिक्री)

भैरू शंकर पिता परशराम जी शर्मा (नागदा), निवासी माली कॉलोनी, टेकरी
उदयपुर हाल निवासी 2/23, गणेश तालाब, दादावाड़ी, कोटा (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती प्यारी बाई पत्नी मादा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अमरा पिता रूपा जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चम्पा पत्नी लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. गजेन्द्र पिता लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मु. गणेशी पुत्री लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. मु. केसरी पुत्री लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. मु. अनिता पुत्री लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. शंकर पिता नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. बक्षीया पिता नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. भग्गा पिता नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. मु. कमला बाई पुत्री नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. मु. जबरी पुत्री अन्ना जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. मु. धापू पुत्री अन्ना जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
14. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पॉन्डेन्टगण



(2) प्रकरण संख्या 46/2023 (उदयपुर डिक्री)

भैरू शंकर पिता परशराम जी शर्मा (नागदा), निवासी माली कॉलोनी, टेकरी उदयपुर हाल निवासी 2/23, गणेश तालाब, दादावाड़ी, कोटा (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

1. श्रीमती प्यारी बाई पत्नी मादा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अमरा पिता रूपा जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती चम्पा पत्नी लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. गजेन्द्र पिता लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मु. गणेशी पुत्री लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. मु. केसरी पुत्री लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. मु. अनिता पुत्री लालू जी डांगी, निवासी भैसड़ा खुर्द, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. शंकर पिता नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. बक्षीया पिता नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. भग्गा पिता नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. मु. कमला बाई पुत्री नथा जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
12. मु. जबरी पुत्री अन्ना जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
13. मु. धापू पुत्री अन्ना जी देबारी, निवासी डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
14. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

उपस्थित :- 1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्त

2. श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं 1
3. श्री कैलाश नागदा अभिभाषक रेस्पों. सं. 8 से 11
4. श्री अजयसिंह हाडा अभिभाषक रे. सं. 2, 3, 4, 7

अपीलें अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान
 का.अ. 1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड
 अधिकारी गिर्वा प्रारम्भिक डिक्री दि०
 13.06.2017 अंतिम डिक्री दिनांक
 25.07.2017 प्रकरण सं० 80 / 2016

निर्णय

दिनांक 12-12-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 504, 507 से 510 कुल किता 5 रकबा 0.7700 हैक्टर भूमि ग्राम डेडरों की ढाणी, तहसील गिर्वा में स्थित है, जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/16 + 3/400 + 2/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 9/400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/800 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 2/32 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, किन्तु भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, जिससे विवाद पैदा होता रहता है। अतः विवादित आराजियात का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मध्य स्वामित्व व कब्जे अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 13-06-2017 को वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 25-07-2017 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 13-06-2017 से रूष्ट होकर अपील संख्या 46/2023 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 25-07-2017 से रूष्ट होकर अपील संख्या 45/2023 इस न्यायालय में दिनांक 26-06-2023 को प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल

मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 8 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नागदा उपस्थित हुए। रेस्पॉन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4, 7 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह हाडा उपस्थित हुए। जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 80/2016 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने तथा दोनों अपीलों में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। दिनांक 05-06-2023 को प्रथम बार उदयपुर आने पर जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट ने बताया कि अपील 6 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जबकि प्रारम्भिक डिक्री सहमति से जारी हुई है। इनको प्रकरण की पूर्व से ही जानकारी थी। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार अपीलान्ट को पूर्व में जानकारी होने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा आदेशिका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं है। अतः न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण कण्डोन किया जाकर अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि पत्रावली दिनांक 06-06-2017 को सुनवाई हेतु नियत थी एवं उनके बाद कोई पेशी दिये बिना ही दिनांक

13-06-2017 को राजस्व कैम्प में रखकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का वाद डिक्री कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नहीं हुई है तथा मात्र अमरा, माधू व गोविन्द ही न्यायालय में उपस्थित हुए। राजस्व कैम्प में 14 प्रतिवादीगण में मात्र एक प्रतिवादी संख्या 1 ही उपस्थित था। गोविन्द इस प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है तथा माधू भी पक्षकार नहीं है, वादिया प्यारी बाई का पति है, उसकी सहमति भी इसमें अंकित कर दी गयी, जबकि ऐसा करने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं था। प्रकरण में करीब 6 प्रतिवादीगण की तामील बाकी थी तथा जवाबदावा आना शेष था, प्रतिवादी संख्या 7, 8, 12 व 15 के नोटिस ही जारी नहीं हुए। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त की जावे। तहसीलदार ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में नोटिस जारी नहीं किये। ऐसी स्थिति में अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि प्रारम्भिक डिक्री पक्षकारों की सहमति से जारी की गयी है तथा अंतिम डिक्री भी विधि अनुसार जारी की गयी है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28-03-2017 को पत्रावली जवाब एवं शेष तलबी हेतु दिनांक 06-06-2017 नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक 06-06-2017 की कोई आदेशिका ही पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं पत्रावली सीधे ही दिनांक 13-06-2017 को राजस्व कैम्प में रखकर पक्षकारान की सहमति बताते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि आदेशिका में 14 प्रतिवादीगण में से मात्र प्रतिवादी संख्या 1 अमरा की ही सहमति की अंगुष्ठ निशानी है। गोविन्द व माधू के भी उक्त आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं, किन्तु वह प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना पक्षकारों की सहमति के एवं बिना प्रतिवादीगण का जवाब लिये प्रकरण में जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, फर्द बंटवारे पर भी मात्र गोविन्द, माधू व अमरा के ही हस्ताक्षर हैं, जबकि गोविन्द व माधू प्रकरण में पक्षकार ही नहीं हैं तथा उक्त फर्द बंटवारा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर तहसीलदार को नियुक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13-06-2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25-07-2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी कर एवं सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर विधि के आलोक में साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10-02-2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर